जसवंत सिंह और गिरीश अग्निहोत्री से समक्ष, जे. जे.

बिंदल स्मेल्टिंग पी. वी. टी. लिमिटेड। अपने निर्देशक के माध्यम से -

याचिकाकर्ता बनाम

जी. एस. टी. की अतिरिक्त निदेशक सामान्य, निदेशक सामान्य-प्रत्यर्थी

सीडब्ल्यूपी-31382-2019

20 दिसंबर, 2019

भारत का संविधान, 1950, अनुच्छेद 226-केंद्रीय वस्तु और सेवा कर अधिनियम, 2017, धारा 83-ओवर कैश क्रेडिट बैंक खाते की अनंतिम कुर्की-ब्याज का संरक्षण-याचिकाकर्ता सीसे के सिल्लों, लाल ऑक्साइड और ग्रे ऑक्साइड का निर्माण-रु। 16 आपूर्तिकर्ताओं के चालान के आधार पर जुलाई 2017 से मार्च 2018 के दौरान 13.38 करोड़।—चालान का पता नहीं चलता है-आयोजित, प्रतिवादी केवल तभी खाते को अटैच कर सकता है जब एफ. डी. आर. या बचत के रूप में कुछ शेष राशि हो-बैंक खाते को अटैच करने की शक्ति का उपयोग प्राधिकरण की सनक और इच्छाओं के अनुसार नहीं किया जा सकता है-आयुक्त यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि संपत्ति या बैंक खाते की अटैचमेंट से राजस्व का ब्याज सुरक्षित रहेगा-यदि कोई संपत्ति बैंक के साथ गिरवी रखी जाती है और संपत्ति का मूल्य बैंक के बकाया से कम होता है, तो अस्थायी अटैचमेंट अर्थहीन है और कार्रवाई केवल कागज पर रहती है-इस प्रकार, कोई रिकॉर्ड यह नहीं दर्शाता है कि संपत्ति या बैंक खाते को अटैच करके राजस्व के ब्याज की रक्षा की जाती है-इसलिए, खाते को अटैच करने का आदेश रद्द कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है।

आयोजित, हमारी राय है कि प्रतिवादी केवल तभी खाते को संलग्न कर सकता है जब एफ. डी. आर. या बचत के रूप में कुछ शेष राशि हो। बैंक खाते की कुर्की की शक्ति का उपयोग प्राधिकरण की इच्छा और इच्छाओं के अनुसार नहीं किया जा सकता है।आयुक्त यह सुनिश्चित

करने के लिए बाध्य है कि संपत्ति या बैंक खाते की कुर्की से राजस्व के ब्याज की रक्षा की जाएगी।यदि किसी संपत्ति को बैंक के पास गिरवी रखा जाता है और संपत्ति का मूल्य बैंक के बकाया से कम है, तो अस्थायी कुर्की अर्थहीन है और कार्रवाई केवल कागज पर ही रहती है।अभिलेख के अभाव में यह दर्शाता है कि संपत्ति या बैंक खाते को संलग्न करके राजस्व के ब्याज की रक्षा की जाती है, ठोस सामग्री के आधार पर विचार और राय के गठन के बिना कार्रवाई की घोषणा की जानी चाहिए।इस प्रकार, डेबिट शेष राशि वाले चालू खाते को संलग्न करने से राजस्व के ब्याज की रक्षा नहीं होती है, इसके बजाय केवल एक व्यापारी के व्यवसाय को बर्बाद कर देता है।पुष्टि की गई मांग की वसूली के लिए "ओवर कैश क्रेडिट" खाते की कुर्की की ऐसी कार्रवाई, कुछ विशिष्ट मामलों में, अभी भी अनुमति दी जा सकती है, लेकिन लंबित जांच के चरण में नहीं।

(पैरा 27) जगमोहन बंसल, अधिवक्ता

याचिकाकर्ता के लिए।

सौरभ गोयल, प्रतिवादी के वकील।

जसवंत सिंह, जे।

(1) याचिकाकर्ता, एक सीमित कंपनी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत तत्काल याचिका के माध्यम से केंद्रीय वस्तु और सेवा कर अधिनियम, 2017 (संक्षेप में 'सी. जी. एस. टी. अधिनियम, 2017') की धारा 83 के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए अतिरिक्त महानिदेशक, गुरुग्राम द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.07.2019 (अनुलग्नक पी-8) और आदेश दिनांक 12.09.2019 (अनुलग्नक पी-10) को रद्द करने की मांग कर रही है, जिसके तहत प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता के बैंक खाते को अस्थायी रूप से संलग्न किया है।यह भी प्रार्थना की गई है कि प्रतिवादी को याचिकाकर्ता और उसके निदेशकों/कर्मचारियों के खिलाफ दंडात्मक कदम उठाने से रोका जा सके।

(2) अभिलेख से उभरने वाले विवाद का न्यायनिर्णयन करने के लिए आवश्यक संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता लेड इनगॉट्स, रेड ऑक्साइड और ग्रे ऑक्साइड का निर्माण कर रहा है।आई. डी. 1 पर, प्रतिवादी/जी. एस. टी. निदेशालय के अधिकारियों ने याचिकाकर्ता के

परिसर की तलाशी ली और तलाशी के दौरान रिकॉर्ड जब्त कर लिया। प्रतिवादी ने समय-समय पर याचिकाकर्ता को विभिन्न दस्तावेजों की आपूर्ति करने का निर्देश दिया जो याचिकाकर्ता ने प्रदान किए लेकिन ट्रांसपोर्टर बिल्टी और तौल पर्ची प्रदान करने में विफल रहे। प्रत्यर्थी ने याचिकाकर्ता के अधिकारियों के बयान दर्ज किए और आगे की जांच की। जाँच के दौरान प्रतिवादी ने पाया कि याचिकाकर्ता ने विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं से स्क्रैप बैटरी खरीदी है जिसमें 16 आपूर्तिकर्ता शामिल हैं, जिनका पता नहीं चल पाया है।याचिकाकर्ता ने जुलाई 2017 से मार्च 2018 के दौरान इनपुट टैक्स क्रेडिट (संक्षिप्त 'आईटीसी' के लिए) का लाभ उठाया था। 16 आपूर्तिकर्ताओं के चालान के आधार पर 13.38 करोड़, जिनका पता नहीं चल पाया है।

(3) प्रत्यर्थी ने दिनांक 10.07.2019 (अनुलग्नक पी-8) के आदेश के माध्यम से याचिकाकर्ता के खाते को अस्थायी रूप से संलग्न किया, जिसे वे लक्ष्मी विलास बैंक, करोल बाग, नई दिल्ली में रख रहे हैं।याचिकाकर्ता सी. जी. एस. टी. 184 के नियम 159 के संदर्भ में नियम, 2017 ने प्रत्यर्थी को एक अभ्यावेदन दिया, जिसने दिनांक 23.10.2019 के संचार के माध्यम से बैंक खाते की कुर्की को हटाने के लिए याचिकाकर्ता के अनुरोध को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।इसलिए तत्काल याचिका दायर की जाती है।

(4) याचिकाकर्ता के वकील श्री बंसल ने तर्क दिया कि विचाराधीन खाता एक ओ. सी. सी. खाता है और याचिकाकर्ता ने आज तक की क्रेडिट सीमा का उपयोग किया है। 6.42 करोड़, इस प्रकार खाते में डेबिट शेष राशि है और इसकी कुर्की व्यवसाय को बंद करने के बराबर है क्योंकि वर्तमान युग में बैंक खाते के बिना व्यावसायिक गतिविधियों को जारी रखना संभव नहीं है।सी. जी. एस. टी. नियम, 2017 के नियम 159 के साथ पठित सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 83 राजस्व के हित की रक्षा करने और किसी भी संस्था के व्यवसाय को बंद नहीं करने के लिए कुर्की की अनुमति देती है।चूंकि खाते में डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए राजस्व के ब्याज की सुरक्षा/सुरक्षा का कोई सवाल ही नहीं है। याचिकाकर्ता ने जी. एस. टी. व्यवस्था के दौरान आई. टी. सी. राशि 60.89 करोड़ का लाभ उठाया है और जी. एस. टी. भुगतान किया गया

62.45 करोड़ याचिकाकर्ता एक संचालित इकाई है और 100 से अधिक परिवार इस इकाई पर निर्भर हैं और इसके बंद होने से इन परिवारों को आजीविका के स्रोत से वंचित कर दिया जाएगा।आज तक, सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 73 या 74 के तहत कोई कारण बताएँ नोटिस जारी नहीं किया गया है, इस प्रकार कारण बताएँ नोटिस और उसके निर्णय से पहले की कोई भी मांग गलत है और प्रतिवादी के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

(5) प्रत्यर्थी के वकील श्री सौरभ गोयल ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने वास्तव में 16 आपूर्तिकर्ताओं से इनपुट नहीं खरीदे हैं और इन आपूर्तिकर्ताओं का पता नहीं लगाया जा सकता है, इस प्रकार याचिकाकर्ता को आई. टी. सी. की राशि का भुगतान करना होगा। 13.38 करोड़, जिसका गलत तरीके से लाभ उठाया गया है।जांच के अनुसार, स्क्रैप बैटरियों को असंगठित/अपंजीकृत व्यक्तियों से नकली चालान और फर्जी परिवहन विवरण के साथ खरीदा गया है।बैंक खाते को केवल सरकारी राजस्व के हित की रक्षा के लिए संलग्न किया गया है और याचिकाकर्ता का यह तर्क कि खाते की कुर्की व्यवसाय को बंद करने के बराबर है, असमर्थनीय है।एक बार जब विधायिका ने बैंक खाते को कुर्क करने का प्रावधान कर दिया है, तो इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 14,19 (1) (जी) और 21 का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है।

(6) याचिकाकर्ता की एकमात्र शिकायत यह है कि उनका ओ. सी. सी. खाता संलग्न किया गया है जो उनके व्यवसाय को बंद करने के बराबर है।हम याचिकाकर्ता की अन्य प्रार्थनाओं से सहमत नहीं हैं और अपने निष्कर्षों को ओ. सी. सी. खाते को संलग्न करने तक सीमित रखते हैं।

(7) रिकॉर्ड से उभरने वाली स्वीकार की गई स्थिति यह है कि याचिकाकर्ता एक चालू विनिर्माण इकाई है और विचाराधीन खाता एक ओ. सी. सी. खाता है जिसमें रु। 6. 42 करोड़। जाँच चल रही है और धारा 73 या 74 के तहत कारण बताएँ नोटिस इसके पूरा होने के बाद जारी किया जाएगा।उत्तरदाता ने सी. जी. एस. टी. अधिनियम, 2017 की धारा 83 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए राजस्व के हित की रक्षा के लिए बैंक खाते को संलग्न किया है।

(8) मामले के रिकॉर्ड की जांच करने और दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद, हम पाते हैं कि प्रतिवादी के पास राजस्व के हित की रक्षा के लिए किसी भी कर योग्य व्यक्ति की संपत्ति और बैंक खाते को कुर्क करने की शक्ति है।पीड़ित व्यक्ति संपत्ति या बैंक खाते की कुर्की के खिलाफ अभ्यावेदन कर सकता है और आयुक्त सुनवाई का अवसर देने के बाद किसी न किसी तरीके से अभ्यावेदन पर निर्णय लेने के लिए बाध्य है। सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 83 और सी. जी. एस. टी. नियमों के नियम 159 को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है: **धारा 83.कुछ मामलों में राजस्व की रक्षा के लिए अनंतिम कुर्की।— (1) इस दौरान कहाँ** धारा 62 या धारा 63 या धारा 64 या धारा 67 या धारा 73 या धारा 74 के तहत किसी भी कार्यवाही के लंबित रहने पर, आयुक्त की राय है कि सरकारी राजस्व के हित की रक्षा करने के उद्देश्य से, ऐसा करना आवश्यक है, वह लिखित आदेश द्वारा कर योग्य व्यक्ति की बैंक खाते सहित किसी भी संपत्ति को अस्थायी रूप से ऐसी तरीके से कुर्क कर सकता है जो निर्धारित की जाए।

(2) ऐसी प्रत्येक अनंतिम कुर्की, उप-धारा (1) के तहत किए गए आदेश की तारीख से एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद प्रभावी नहीं होगी।

नियम 159 संपत्ति पर संभावित हमला:

(1) जहां आयुक्त धारा 83 के प्रावधानों के अनुसार बैंक खाते सहित किसी भी संपत्ति को कुर्क करने का निर्णय लेता है, वह फॉर्म जी. एस. टी. डी. आर. सी.-22 में उस प्रभाव का उल्लेख करते हुए एक आदेश पारित करेगा, जिसमें कुर्क की गई संपत्ति का विवरण होगा।

(2) आयुक्त उक्त चल या अचल संपत्ति पर बोझ डालने के लिए संबंधित राजस्व प्राधिकरण या परिवहन प्राधिकरण या किसी ऐसे प्राधिकरण को कुर्की के आदेश की एक प्रति भेजेगा, जिसे केवल आयुक्त के लिखित निर्देशों पर ही हटाया जाएगा।

(3) जहां कुर्क की गई संपत्ति खराब होने वाली या खतरनाक प्रकृति की है, और यदि कर योग्य व्यक्ति ऐसी संपत्ति के बाजार मूल्य या उस राशि के बराबर राशि का भुगतान करता है जो कर योग्य व्यक्ति द्वारा देय है या हो सकती है, जो भी कम हो, तो ऐसी संपत्ति को भुगतान के

प्रमाण पर फॉर्म जीएसटी डीआरसी-23 में एक आदेश द्वारा तुरंत जारी किया जाएगा।

(4) जहां कर योग्य व्यक्ति खराब होने वाली या खतरनाक प्रकृति की उक्त संपत्ति के संबंध में उप-नियम (3) में निर्दिष्ट राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो आयुक्त ऐसी संपत्ति का निपटान कर सकता है और इससे प्राप्त राशि को कर, ब्याज, जुर्माना, शुल्क या कर योग्य व्यक्ति द्वारा देय किसी अन्य राशि के खिलाफ समायोजित किया जाएगा।

(5) कोई भी व्यक्ति जिसकी संपत्ति कुर्क की गई है, उप-नियम (1) के तहत कुर्की के सात दिनों के भीतर, इस प्रभाव पर आपत्ति दर्ज कर सकता है कि कुर्क की गई संपत्ति कुर्क करने के लिए उत्तरदायी थी या नहीं है, और आयुक्त, आपत्ति दर्ज करने वाले व्यक्ति को सुनने का अवसर देने के बाद, फॉर्म जी. एस. टी. डी. आर. सी.-23 में एक आदेश द्वारा उक्त संपत्ति को जारी कर सकता है।

(6) आयुक्त, यह संतुष्ट होने पर कि संपत्ति कुर्की के लिए उत्तरदायी थी, या अब नहीं है, फॉर्म जी. एस. टी. डी. आर. सी.-23 में एक आदेश जारी करके ऐसी संपत्ति को जारी कर सकता है।

(9) उपरोक्त प्रावधानों को पढ़ने से हम पाते हैं कि धारा 62 (विवरणी दाखिल न करने वालों का आकलन) या धारा 63 (अपंजीकृत व्यक्तियों का आकलन) या धारा 64 (संक्षिप्त आकलन) या धारा 67 (निरीक्षण, तलाशी और जब्ती) या धारा 73 (धोखाधड़ी के अलावा भुगतान नहीं किए गए कर का निर्धारण) या धारा 74 (धोखाधड़ी के कारण भुगतान नहीं किए गए कर का निर्धारण) के तहत किसी भी कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, आयुक्त बैंक खाते सहित किसी भी संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क कर सकता है।आसक्ति की शक्ति निरपेक्ष नहीं है। संलग्नक निम्नलिखित सुरक्षा उपायों के अधीन है:

i) आदेश आयुक्त द्वारा पारित किया जाना चाहिए;

(ii) धारा 62 या 63 या 64 या 67 या 73 या 74 के तहत कार्यवाही लंबित होनी चाहिए।

(iii) आयुक्त को एक राय बनानी चाहिए।

(iv) राजस्व के ब्याज की रक्षा के लिए आदेश पारित किया जाना चाहिए।

(v) संपत्ति को कुर्क करना आवश्यक होना चाहिए।

(10) अभिव्यक्ति 'राय की है' या 'विश्वास करने का कारण है' का एक ही अर्थ है और आयुक्त की व्यक्तिपरक संतुष्टि का संकेत है, जो प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है।यह एक स्थापित कानून है कि 'राय' का राय के गठन के साथ एक तर्कसंगत संबंध या प्रासंगिक संबंध होना चाहिए।तर्कसंगत संबंध यह मानता है कि ब्याज और उपलब्ध संपत्ति की सुरक्षा के बीच एक सीधा संबंध या सीधा संबंध होना चाहिए जो dispute.The राय के अंतिम निर्णय के बाद करों की वसूली के समय उपलब्ध नहीं हो सकता है और यह केवल दिखावा नहीं होना चाहिए।न्यायालयों को यह निर्धारित करने का अधिकार है कि क्या राय का गठन मनमाना, मनमौजी या सनकी है।अभिव्यक्ति 'आवश्यक' का भी ध्यान रखा जाना चाहिए।आदेश और अभिलेख से यह सामने आना चाहिए कि वास्तव में संलग्न की कठोर कार्रवाई करना आवश्यक था।

(11) हम सी. जी. एस. टी. अधिनियम, 2017 की धारा 83 के प्रावधानों और तत्काल मामले के तथ्यों को स्वीकार करने से पहले आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 226 (3) और 281 बी के तहत अस्थायी कुर्की के समान प्रावधानों और उपलब्ध मामले कानून का उल्लेख करना उचित पाते हैं।

(12) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 226 (3) के अनुसार एक निर्धारण अधिकारी या कर वसूली अधिकारी किसी भी व्यक्ति से, जिससे धन देय है या निर्धारित को देय हो सकता है, या किसी भी व्यक्ति से, जो निर्धारित के लिए या उसके खाते में धन रखता है या बाद में रख सकता है, निर्धारण अधिकारी या कर वसूली अधिकारी को भुगतान करने की आवश्यकता हो सकती है।

(13) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 281 बी के अनुसार, राजस्व के हित की रक्षा के उद्देश्य से किसी भी आय के मूल्यांकन के लिए या किसी भी आय के मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन के लिए किसी भी कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान निर्धारण अधिकारी लिखित आदेश द्वारा किसी भी

संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क कर सकता है।निर्धारण अधिकारी की राय होनी चाहिए कि ऐसा करना आवश्यक है।

(14) आयकर अधिनियम की धारा 281 बी के तहत संपत्ति की कुर्की की शक्ति पर विचार करते हुए, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने गांधी ट्रेडिंग बनाम सहायक आयकर आयुक्त 1 में पैरा 7 ने निम्नलिखित रूप में देखा है:"हमने ज्वाइंट 1 (1999) 239 आईटीआर 337 (बम) के सुझाव पर विचार किया है।

आयकर आयुक्त। हालाँकि, हम इससे प्रभावित नहीं हैं।इस मामले में अधिनियम की धारा 281 बी के तहत कुर्की की गई है जो कुछ मामलों में केवल राजस्व की सुरक्षा के लिए अस्थायी कुर्की का प्रावधान करती है। यह खंड इस प्रकार है:

"281 ख. कुछ मामलों में राजस्व की रक्षा के लिए अस्थायी कुर्की

(1) जहां किसी आय के निर्धारण के लिए या किसी आय के निर्धारण या पुनर्मूल्यांकन के लिए, जो निर्धारण से बच गई है, किसी भी कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, निर्धारण अधिकारी की राय है कि राजस्व के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से ऐसा करना आवश्यक है, वह प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त, प्रधान आयुक्त या आयुक्त, प्रधान महानिदेशक या महानिदेशक या प्रधान निदेशक या निदेशक के पूर्व अनुमोदन के साथ लिखित आदेश द्वारा निर्धारिती की किसी भी संपत्ति को दूसरी अनुसूची में प्रदान की गई तरीके से अस्थायी रूप से कुर्क कर सकता है।

(15) उपरोक्त धारा के एक सरल पाठ से यह स्पष्ट है कि इसका उद्देश्य निर्धारण अधिकारी को किसी भी कार्यवाही के लंबित रहने या किसी आय के मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन के दौरान निर्धारित की किसी भी संपत्ति की अस्थायी कुर्की करने के लिए सशक्त बनाना है, भले ही निर्धारित के खिलाफ कोई मांग बकाया न हो, अगर उसकी राय है कि राजस्व के हितों की रक्षा के लिए ऐसा करना आवश्यक है।यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस शक्ति का दुरुपयोग न हो, इस धारा में ही कई सुरक्षा उपाय प्रदान किए गए हैं।हमारे लिए यह आवश्यक नहीं है कि हम इस स्तर पर इसकी जांच करें।एक बात स्पष्ट है कि इस शक्ति का प्रयोग निर्धारण अधिकारी द्वारा केवल तभी किया जाना चाहिए जब इस

बात की उचित आशंका हो कि निर्धारिती मूल्यांकन के पूरा होने पर उठाई जाने वाली मांग के अंतिम संग्रह को विफल कर सकता है।इस धारा के तहत कुर्की की शक्ति सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत निर्णय से पहले कुर्की की प्रकृति में है।यह एक जबरदस्त शक्ति है।इसलिए इसका उपयोग अत्यधिक सावधानी और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए। इसका प्रयोग तब तक नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि इस संतुष्टि को सही ठहराने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री न हो कि निर्धारिती मांग के अंतिम संग्रह को विफल करने की दृष्टि से अपनी संपत्ति के पूरे या किसी भी हिस्से का निपटान करने वाला है।इसके अलावा, बैंडल स्मेल्टिंग पी. वी. टी. को प्राप्त करने के लिए संपत्तियों का और जिस हद तक इसकी आवश्यकता है, कुर्की की जानी चाहिए। वस्तु के ऊपर।इसका उपयोग न तो निर्धारित को परेशान करने के लिए एक उपकरण के रूप में किया जाना चाहिए और न ही इसका उपयोग इस तरह से किया जाना चाहिए जिसका निर्धारिती के व्यवसाय पर अपरिवर्तनीय हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है।जहां तक संभव हो अचल संपत्तियों की कुर्की की जानी चाहिए, अगर इससे राजस्व की रक्षा हो सकती है।बैंक खातों और व्यापारिक परिसंपत्तियों की कुर्की का सहारा केवल अंतिम उपाय के रूप में लिया जाना चाहिए।किसी भी स्थिति में, धारा 281 बी के तहत कुर्की को वसूली की कार्यवाही के दौरान कुर्की के बराबर नहीं माना जाना चाहिए।"

(16) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 226 (3) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए निर्धारण अधिकारी समय-समय पर चूककर्ता निर्धारिती के नकद क्रेडिट या ओवर ड्राफ्ट या ऋण खाते को संलग्न करते हैं।मामला समय-समय पर उच्च न्यायालयों के समक्ष विचार के लिए आया और यह अभिनिर्धारित किया गया कि नकद क्रेडिट या ओवर ड्राफ्ट या ऋण खाते को संलग्न नहीं किया जा सकता क्योंकि निर्धारित का कोई शेष नहीं है।गुजरात उच्च न्यायालय के मामले में

कनेरिया ग्रेनिटो लिमिटेड बनाम सहायक आयकर आयुक्त 2

विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा घोषित कानून को ध्यान में रखते हुए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 226 के तहत इलाहाबाद बैंक को विभाग को रु। 5. 86 करोड़ भले ही रखे गए खाते नकद ऋण या सावधि ऋण खाते थे।प्रासंगिक निष्कर्ष नीचे निकाले गए हैं:

“4. पक्षों के विद्वान (learned) वकील को सुनने और अभिलेख पर सामग्री का अध्ययन करने के बाद हम देख सकते हैं कि अधिनियम की धारा 226 वसूली के अन्य तरीकों से संबंधित है।धारा 226 की उप धारा (1) के तहत, जहां अधिनियम की धारा 222 में उल्लिखित कोई प्रमाण पत्र तैयार नहीं किया गया है, वहां निर्धारण अधिकारी इस धारा में दिए गए एक या अधिक तरीकों से कर की वसूली कर सकता है।धारा 226 का हिस्सा, जो हमारे उद्देश्य के लिए प्रासंगिक है, नीचे दिया गया है:

"(3) (i) निर्धारण अधिकारी या कर वसूली अधिकारी, किसी भी समय या समय-समय पर, लिखित सूचना द्वारा किसी भी व्यक्ति से, जिससे धन देय है या निर्धारिती का देय हो सकता है, या किसी भी व्यक्ति से, जो निर्धारिती के लिए या उसके लिए धन रखता है या बाद में रख सकता है, यह अपेक्षा कर सकता है कि वह या तो धन देय होने पर या रखे जाने पर या सूचना में निर्दिष्ट समय पर या उसके भीतर (धन देय होने या रखे जाने से पहले नहीं होने पर) निर्धारण अधिकारी या कर वसूली अधिकारी को भुगतान करे। निर्धारित बकाया या संपूर्ण धन के संबंध में जब वह उस राशि के बराबर या उससे कम हो।

(ii) इस उप-धारा के तहत किसी भी व्यक्ति को नोटिस जारी किया जा सकता है जो किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से निर्धारिती के लिए या उसके खाते में कोई धन रखता है या रख सकता है और इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, ऐसे खाते में संयुक्त धारकों के शेयरों को तब तक माना जाएगा जब तक कि विवाद साबित नहीं हो जाता है।

(iii).....

(iv) इस उप-धारा में अन्यथा दिए गए प्रावधान के अलावा, प्रत्येक व्यक्ति जिसे इस उप-धारा के तहत नोटिस जारी किया गया है, वह ऐसे नोटिस का पालन करने के लिए बाध्य होगा और विशेष रूप से जहां डाकघर, बैंकिंग कंपनी या बीमाकर्ता को ऐसा कोई नोटिस जारी किया जाता है, भुगतान किए जाने से पहले किसी भी प्रविष्टि, समर्थन या इसी तरह के उद्देश्य के लिए किसी भी पास बुक, जमा रसीद, पॉलिसी या किसी अन्य दस्तावेज को पेश करने की आवश्यकता नहीं होगी, इसके विपरीत किसी भी नियम, प्रथा या आवश्यकता के बावजूद।

(17) धारा 226 की उप-धारा (3) के खंड (i) के तहत, निर्धारण अधिकारी को यह आदेश जारी करने की शक्ति है कि कोई भी व्यक्ति जिससे धन देय है या निर्धारिती का देय हो सकता है या कोई भी व्यक्ति जो निर्धारिती के लिए या उसके खाते में धन रखता है या बाद में रख सकता है, वह निर्धारण अधिकारी को धन देय होने या रखे जाने पर या निर्दिष्ट समय के भीतर, निर्धारिती द्वारा बकाया राशि या पूरी राशि का भुगतान करने के लिए पर्याप्त धन का भुगतान करे, जब वह बकाया राशि के बराबर या उससे कम हो।दूसरे शब्दों में, बलपूर्वक वसूली की प्रक्रिया में, निर्धारण अधिकारी के पास किसी भी व्यक्ति से, जिससे धन देय है या निर्धारिती को देय हो सकता है, निर्धारिती के बकाया की सीमा तक की वसूली करने की शक्ति होगी या कोई भी व्यक्ति जो निर्धारिती के लिए या उसके खाते में धन रखता है या बाद में रख सकता है।यह शक्ति अनिवार्य रूप से अधिग्राही आदेश की प्रकृति में है जिसमें निर्धारिती के देनदार को निर्धारिती को इस तरह की राशि का भुगतान करने के बजाय कर के बकाया का निर्धारण अधिकारी को सीधा भुगतान करने की आवश्यकता होती है।संक्षेप में, इसलिए, यह शक्ति तब उपलब्ध होगी जब कोई व्यक्ति है जिससे धन देय है या निर्धारिती का देय हो सकता है या कोई व्यक्ति है जो निर्धारिती के लिए या उसके खाते में कोई धन रखता है या बाद में रख सकता है।

(18) इस मामले में, निश्चित रूप से, तीनों बैंक खाते नकद ऋण खाते या सावधि ऋण खाते की प्रकृति।दूसरे शब्दों में, खाते इसलिए खोले गए थे ताकि निर्धारिती अपने व्यवसाय के उद्देश्य से बैंक से धन उधार ले सके। इसलिए, कोई भी धन जो बैंक निर्धारिती को उपलब्ध करा सकता है, अनिवार्य रूप से ऋण या नकद ऋण सुविधा की प्रकृति का होगा, दोनों ही मामलों में, निर्धारिती द्वारा बैंक से उधार लेने की प्रकृति का होगा। इसलिए, बैंक और निर्धारिती का देनदार-लेनदार संबंध नहीं है।

(19) के. एम. एडम बनाम आई. टी. ओ. 3 के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय के विद्वान एकल (Single) न्यायाधीश के समक्ष कुछ इसी तरह की स्थिति उत्पन्न हुई।निर्धारण अधिकारी ने निर्धारिती के ओवरड्राफ्ट खाते से कर बकाया की वसूली के लिए अधिनियम की धारा 226 (3) के अनुरूप शक्तियों का उपयोग करने की इच्छा व्यक्त की, जिसे निर्धारिती ने अपने बैंक में बनाए रखा था।ऐसी पृष्ठभूमि में, आयकर अधिनियम,

1922 की धारा 46 में निहित समान प्रावधानों का उल्लेख करते हुए, यह निम्नानुसार देखा गया:

'यह देखा जाएगा कि यह प्रावधान ऋण की कुर्की के समान है या जिसे आमतौर पर गार्निशी समन कहा जाता है।जिन व्यक्तियों को ऐसी सूचना दी जा सकती थी, उनके दो वर्ग हैं:(i) कोई भी व्यक्ति जिससे धन देय है या निर्धारिती का देय हो सकता है; और (2) कोई भी व्यक्ति जो निर्धारिती के लिए या उसके खाते में धन रखता है या बाद में रख सकता है।वर्तमान मामले में विचार के लिए जो प्रश्न उठता है, वह यह है कि क्या कोई बैंक, जिसने अपने ग्राहक को ओवरड्राफ्ट सुविधा प्रदान की है, उस राशि को रखता है, जिसे ग्राहक या तो ग्राहक के "देनदार" के रूप में निकाल सकता है या ग्राहक की ओर से या उसके कारण उस धन को रखता है।

(20) जुगल किशोर दास बनाम भारत संघ [2013 का डब्ल्यू. पी. संख्या 22899, दिनांक <आई. डी. 1] के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय के रिपोर्ट किए गए फैसले में बॉम्बे उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस निर्णय का पालन किया।उक्त मामले में, निर्धारण अधिकारी ने निर्धारिती के नकद क्रेडिट खाते को संलग्न करके अधिनियम की धारा 226 (3) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्धारिती के कर बकाया की वसूली करने का प्रयास किया था। के. एम. आदम (उपरोक्त) के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद, यह निम्नानुसार देखा गया:

"उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय यह नहीं पाता है कि नकद ऋण खाते की कुर्की का आदेश पारित करने में प्रतिवादीगण की ओर से कार्रवाई उपरोक्त उल्लिखित रिपोर्ट में निर्धारित अनुपात को ध्यान में रखते हुए टिकाऊ; यहां तक कि उक्त अधिनियम की धारा 226 (3) में नियोजित भाषा के सार्थक अध्ययन से यह नहीं पता चलता है कि कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट जैसे खाते को संलग्न किया जा सकता है क्योंकि बैंक देनदार नहीं बनता है।

(21) सरगम फूड्स (पी.) के मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय की खंड पीठ लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य [2008 का डब्ल्यूपी नंबर 4313, दिनांक 8-7-2010] ने भी इसी तरह के मुद्दे पर विचार किया और अवैतनिक

करों की वसूली के लिए याचिकाकर्ता के नकद क्रेडिट खाते की कुर्की को अलग कर दिया।

(22) देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों का ऐसा सुसंगत दृष्टिकोण होने के कारण, हमें धारा 226 की उप धारा (3) में निहित वैधानिक प्रावधानों में उपयोग किए गए वाक्यांशों को भी देखते हुए इसी तरह के दृष्टिकोण को अपनाने में कोई संकोच नहीं है।

(23) परिणामस्वरूप, 15.09.2014 दिनांकित संलग्नक की आक्षेपित सूचना को अलग कर दिया जाता है।याचिका का तदनुसार निपटारा किया जाता है।"

[(24) गुजरात उच्च न्यायालय ने वैलेरियस इंडस्ट्रीज बनाम भारत संघ 4 के मामले में संपत्ति और बैंक खाते की अनंतिम कुर्की के प्रश्न पर विचार करते हुए पैरा 52 में निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला है:

"52. हमारे अंतिम निष्कर्षों को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है:

(1) निर्धारण आदेश दिए जाने से पहले अस्थायी कुर्की का आदेश उचित हो सकता है यदि निर्धारण प्राधिकरण या कानून में सशक्त किसी अन्य प्राधिकरण की राय है कि राजस्व के हित की रक्षा करना आवश्यक है।हालाँकि, व्यक्तिपरक संतुष्टि कुछ विश्वसनीय सामग्री या जानकारी पर आधारित होनी चाहिए और पर्यवेक्षण कारक द्वारा भी समर्थित होनी चाहिए।यह कोई भी और हर सामग्री नहीं है, चाहे वह अस्पष्ट और अनिश्चित हो या दूर का या दूर का, जो विश्वास के गठन की गारंटी देता है।

(2) अस्थायी कुर्की के लिए अधिनियम की धारा 83 के तहत प्राधिकरण को प्रदान की गई शक्ति को बहुत कठोर और दूरगामी शक्ति कहा जा सकता है।ऐसी शक्ति इसका उपयोग संयम से और केवल महत्वपूर्ण आधारों और कारणों पर किया जाए।

(3) अधिनियम की धारा 83 के तहत अनंतिम कुर्की की शक्ति का उपयोग प्राधिकरण द्वारा केवल तभी किया जाना चाहिए जब इस बात की उचित आशंका हो कि निर्धारिती मूल्यांकन के पूरा होने पर उठाई जाने

वाली मांग के अंतिम संग्रह में चूक कर सकता है।इसलिए इसका उपयोग अत्यधिक सावधानी और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए।

(4) अस्थायी कुर्की के लिए अधिनियम की धारा 83 के तहत शक्ति का प्रयोग केवल तभी किया जाना चाहिए जब इस संतुष्टि को सही ठहराने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री हो कि निर्धारिती मांग के अंतिम संग्रह को विफल करने की दृष्टि से अपनी संपत्ति के पूरी तरह से या किसी भी हिस्से का निपटान करने वाला है और उक्त उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, कुर्की संपत्तियों की होनी चाहिए और उस हद तक, इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इसकी आवश्यकता है।

(5) अधिनियम की धारा 83 के तहत शक्ति का उपयोग न तो निर्धारिती को परेशान करने के लिए एक उपकरण के रूप में किया जाना चाहिए और न ही इसका उपयोग इस तरह से किया जाना चाहिए जिसका निर्धारिती के व्यवसाय पर अपरिवर्तनीय हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है।

(6) बैंक खाते और व्यापारिक परिसंपत्तियों की कुर्की का सहारा केवल अंतिम उपाय के रूप में लिया जाना चाहिए।अधिनियम की धारा 83 के तहत अनंतिम कुर्की को वसूली की कार्यवाही के दौरान कुर्की के बराबर नहीं माना जाना चाहिए।

(7) अस्थायी कुर्की के लिए अधिनियम की धारा 83 के तहत शक्ति का प्रयोग करने से पहले प्राधिकरण को दो बातों पर विचार करना चाहिए:(i) चाहे वह एक राजस्व तटस्थ स्थिति हो (ii) "उत्पादन देयता या निवेश ऋण" का विवरण।इनपुट टैक्स क्रेडिट को उलटकर भुगतान की गई राशि को ध्यान में रखते हुए यदि राजस्व का ब्याज पर्याप्त रूप से सुरक्षित है, तो प्राधिकरण अस्थायी कुर्की के उद्देश्य से अधिनियम की धारा 83 के तहत अपनी शक्ति का उपयोग करने में उचित नहीं हो सकता है।"

(25) सी. जी. एस. टी. अधिनियम, 2017 के उपरोक्त उद्धृत प्रावधानों को लागू करते हुए और गुजरात उच्च न्यायालय के पूर्व-उद्धृत निर्णयों से संकेत लेते हुए, जिसने लगातार न्यायिक निर्णय और बॉम्बे उच्च न्यायालय को देखा है, हम पाते हैं कि वर्तमान मामले में संलग्न खाता ओवर कैश क्रेडिट खाता है और याचिकाकर्ता के पास रु। 6.42

करोड़, इस प्रकार यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या कुर्की जारी रहने से राजस्व के हित की रक्षा होगी या नहीं।याचिकाकर्ता इकाई चला रहा है और 100 से अधिक परिवार याचिकाकर्ता पर निर्भर हैं।आज तक सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 74 के तहत कोई कार्यवाही लंबित नहीं है जो कारण बताओ नोटिस जारी होते ही शुरू हो जाएगी।प्रत्यर्थी ने याचिकाकर्ता का रिकॉर्ड जब्त कर लिया है जिसने आगे विभिन्न दस्तावेजों की आपूर्ति के साथ-साथ निदेशकों और कर्मचारियों के माध्यम से व्यक्तिगत उपस्थिति दर्ज कराई है।

(26) धारा 83 के तहत आयुक्त को कुर्की की शक्ति प्रदान करने का विधानमंडल का उद्देश्य और इरादा बहुत स्पष्ट है।यह कठोर और दूरगामी शक्ति है जिसका उपयोग संयम से और केवल ठोस भारी आधारों और कारणों पर किया जाना चाहिए।इस शक्ति का प्रयोग केवल राजस्व के हित की रक्षा के लिए किया जाना चाहिए और किसी भी कर योग्य व्यक्ति के व्यवसाय को बर्बाद करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।मुख्य रूप से धारा 83 संपत्ति को कुर्क करने की अनुमति देती है।संपत्ति का अर्थ है एक ऐसी संपत्ति जो चल, अचल, मूर्त, अमूर्त या किसी साधन के रूप में हो सकती है।हाथ में नकदी के साथ-साथ बैंक खाता तरलता के रूप में संपत्ति है जो अचल संपत्ति से बेहतर है और सीधे एक व्यापारी की कार्यशील पूंजी के रूप में काम करने को प्रभावित करता है।एक व्यापारी के हाथ में या खाते में सावधि जमा या बचत खाते के रूप में नकदी हो सकती है। हमारी सुविचारित राय में धारा 83 का अधिदेश एफ. डी. आर. या बचत के रूप में खाते में पड़ी राशि को संलग्न करना है और डेबिट शेष राशि वाले खाते को संलग्न करना धारा 83 का इरादा या तात्पर्य नहीं हो सकता है। राजस्व के ब्याज को सुरक्षित करने के अलावा कोई भी उद्देश्य हासिल नहीं होने वाला है, सिवाय व्यवसाय के बंद होने के, जिसकी अनुमति तब तक नहीं दी जा सकती जब तक कि कानून द्वारा स्वयं व्यवसाय चलाना प्रतिबंधित नहीं है।प्रत्यर्थी का यह तर्क कि उनके पास खाते की प्रकृति की परवाह किए बिना बैंक खाते को संलग्न करने की शक्ति है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

(27) हमारी राय है कि प्रतिवादी केवल तभी खाते को संलग्न कर सकता है जब एफ. डी. आर. या बचत के रूप में कुछ शेष राशि हो।बैंक खाते की कुर्की की शक्ति का उपयोग प्राधिकरण की इच्छा और इच्छाओं

के अनुसार नहीं किया जा सकता है।आयुक्त यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि संपत्ति या बैंक खाते की कुर्की से राजस्व के ब्याज की रक्षा की जाएगी।यदि किसी संपत्ति को बैंक के पास गिरवी रखा जाता है और संपत्ति का मूल्य बैंक के बकाया से कम है, तो अस्थायी कुर्की अर्थहीन है और कार्रवाई केवल कागज पर ही रहती है।अभिलेख के अभाव में यह दर्शाता है कि संपत्ति या बैंक खाते को संलग्न करके राजस्व के ब्याज की रक्षा की जाती है, ठोस सामग्री के आधार पर विचार और राय के गठन के बिना कार्रवाई की घोषणा की जानी चाहिए।इस प्रकार, डेबिट शेष राशि वाले चालू खाते को संलग्न करने से राजस्व के ब्याज की रक्षा नहीं होती है। इसके बजाय केवल एक व्यापारी के व्यवसाय को बर्बाद कर देता है। पुष्टि की गई मांग की वसूली के लिए "ओवर कैश क्रेडिट" खाते की कुर्की की ऐसी कार्रवाई, कुछ विशिष्ट मामलों में, अभी भी अनुमति दी जा सकती है, लेकिन लंबित जांच के चरण में नहीं।

(28) अखिल कृष्ण मग्गू बनाम डिप्टी अदालत में निदेशक और अन्य, सी. डब्ल्यू. पी. सं. 24195/2019 ने दिनांकित 15/11/2019 आदेश के माध्यम से जांच के लंबित रहने के दौरान सी. जी. एस. टी. अधिनियम, 2017 की धारा 69 के साथ 132 के तहत गिरफ्तारी के सवाल पर विस्तार से विचार किया है।वर्तमान मामले में, जांच मार्च 2018 में शुरू की गई थी और याचिकाकर्ता के निदेशक पहले ही अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं और अपने बयान दे चुके हैं।याचिकाकर्ता एक चालू इकाई है और इसका रिकॉर्ड या तो जब्त कर लिया गया था या बाद में प्रतिवादी को प्रस्तुत किया गया था, इस प्रकार हम इस तथ्य से आश्वस्त हैं कि प्रतिवादी अखिल कृष्ण मग्गू बनाम उप निदेशक और अन्य, सी. डब्ल्यू. पी. सं. 24195/2019 के मामले में हमारे दिनांक 15.11.2019 के फैसले के अनुसार याचिकाकर्ता के खिलाफ आगे बढ़ेगा।

(29) उपरोक्त की पृष्ठभूमि में, हमारी राय है कि सी. जी. एस. टी. अधिनियम, 2017 की धारा 83 के इरादे और उद्देश्य के आधार पर दिनांक 10.07.2019 (अनुलग्नक पी-8) और दिनांक 12.09.2019 (अनुलग्नक पी-10) का आदेश गलत है और वर्तमान याचिका सफल होने के योग्य है और तदनुसार अनुमति दी जाती है।विवादित आदेश दिनांक 10.07.2019 (अनुलग्नक पी-8) और आदेश दिनांक 12.09.2019

(अनुलग्नक पी -10) एतद्द्वारा रद्द कर दिए जाते हैं और अलग कर दिए जाते हैं।

ऋतंभ्र ऋषि

रचना

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निणर्य वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।